फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी :– रामदयाल पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी नूंवा तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान ।

बनाम्

अप्रार्थीगण:– राधेश्याम पुत्र धींसाराम जाति ब्राह्मण निवासी नूंवा तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान वगै.।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या 237/2025 सन्–2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28.11.2025	प्रार्थी रामदयाल पुत्र राध्यश्याम जाति ब्राह्मण निवासी नूंवा तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण राधेश्याम पुत्र धींसाराम जाति ब्राह्मण निवासी नूंवा तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान वगै. के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील प्रार्थीगण श्री हकीम खाँ के एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षीय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी पेशी तक होने तक सरहद नूंवा के खसरा संख्या 1099/96 की भूमि में विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करेंगे व राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनायें रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। नोट :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। आदेश 39 नियम 3 की पालना न होने पर उक्त आदेश आगामी तारीख पेशी को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनॉक 09.01.2026 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	
9/1/26	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली वास्ते तलबाना हेतु [illegible] 10/4/26 को पेश हो। Vikas	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested

12.02.26

वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को वाद के साथ तलब किया गया।

वकील वादी ने वाद को जरिये नोट प्रेस खारिज करवा लिया है। वाद खारिज होने के बाद प्रार्थना पत्र (अस्थाई निषेधाज्ञा) को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को जरिये नोट प्रेस खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested